निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 153 / 20
दायरा दिनांक :– 23.12.2020
निर्णय दिनांक :– 17.10.22

उनवान

1. उमेश कुमार पुत्र श्री कोमलप्रसाद जाति मीणा निवासी ग्राम थामली तहसील व जिला बारां।
2. नीरज कुमार पुत्र श्री कोमलप्रसाद जाति मीणा निवासी ग्राम थामली तहसील व जिला बारां।

बनाम

1. कोमलप्रसाद पुत्र श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम थामली तहसील व जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट
निर्णय दिनांक :– 17.10.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बृजराज किशोर शर्मा – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। कि वाके ग्राम थामली तहसील बारां में आराजी ख0नं0 194 रकबा 0.76 है0, ख0नं0 365 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 445 रकबा 2.13 है0, ख0नं0 452 रकबा 0.84 है0, ख0नं0 456 रकबा 0.75 है0 एवं खसरा नं0 697 / 446 रकबा 0.07 है0 कुल 6 किता कुल रकबा 4.90 है0 एवं ग्राम बोरेडी तहसील बारां [illegible] ख0नं0 632 / 510 रकबा 2.35 है0 स्थित है। उक्त आराजी को इस वाद पत्र में आगे विवादि[illegible] के नाम से वर्णित किया गया है। उक्त आराजी के तनहा खातेदार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

उक्त आराजी पेत्रिक संपत्ति है जो प्रतिवादी कम 1 को अपने पिता मांगीलाल जी ने विरासतन प्राप्त हुई है। प्रतिवादी कम 1 वादी कम 1 व 2 के पिता है अतः उक्त संपत्ति पैत्रिक संपत्ति हुई एवं पैत्रिक संपत्ति होने से सहदायकी बनी और संपूर्ण पैत्रिक संपत्ति में पुत्रों का जन्म से पिता के बराबर हक हिस्सा हुआ अतः उक्त विवादित आराजी वर्णित मद नंबर 1 वाद पत्र में वादीगण कम 1 व 2 का 1/3, 1/3 व प्रतिवादी कम 1 का 1/3 हिस्सा समान रूप से होगा तथा विरासतन उक्त विवादित आराजी में समान रूप से होगा जिसकी घोषणा करवाकर विधिवत बंटवारा कराकर वादीगण अपने हिस्से को अपने खातेदारी में अंकित करा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है।

वादीगण द्वारा उक्त विवादित पेत्रिक संपत्ति जिसमें उनका पैदाईशी हक निहित है को घोषणा कराकर बंटवारा कराकर अपने नाम प्रथक–प्रथक राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने हेतु कार्यवाही करने हेतु सहयोग करने हेतु प्रतिवादी कम 1 से कहने पर प्रतिवादी द्वारा इनकार होने पर वादीगण को दिनांक 15.09.2020 को वाद कारण हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी गण के सम्मन बाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम थामली सम्मत 2073–76 खाता संख्या 22, नकल जमाबन्दी ग्राम थामली सम्मत 2072–73 खाता संख्या 15, नकल जमाबन्दी ग्राम थामली सम्मत 2033–37 खाता संख्या 55, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–57 पेश किया गया। साक्ष्य वादी में उमेश कुमार का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम थामली तहसील बारां में स्थित है। विवादित में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी कम 1 वादीगण के पिता है वर्तमान में विवादित आराजी प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी में दर्ज है यह भूमि प्रतिवादी कम 1 के पिता श्री मांग्या उर्फ मांगीलाल से विरासत में प्राप्त हुई थी। विवादित आराजी पेत्रक भूमि है जिसमें वादी गण का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है। वादीगण को पेत्रक सम्पत्ति में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को [illegible] 1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित कर पृथक–पृथक विभाजन किया जावे।

बहस अभिभाषक [illegible] सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी [illegible] ग्राम थामली सम्वत 2073–76

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

खाता सं0 22 में कोमलप्रसाद पुत्र मांगीलाल का नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम थामली सम्वत 2072–75 खाता सं0 15 में कोमलप्रसाद पुत्र मांगीलाल का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम थामली सम्वत 2033–37 खाता सं0 55 में मांग्या वल्द नाथू कोम मीना का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम थामली सम्वत 2038–57 पेश की गई। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रतिवादी कम 1 कोमलप्रसाद के पिता मांग्या उर्फ मांगीलाल के खाते की थी। मांग्या के मरने के बाद प्रतिवादी कम 1 कोमलप्रसाद की विरासत में प्राप्त हुई थी। विवादित आराजी पेत्रक आराजी है। जिससे वादी गण अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है वादी गण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:–क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी गण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम थामली तहसील बारां के ख0नं0 194 रकबा 0.76 है0, ख0नं0 365 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 445 रकबा 2.13 है0, ख0नं0 452 रकबा 0.84 है0, ख0नं0 456 रकबा 0.75 है0 एवं खसरा नं0 697/446 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 632/510 रकबा 2.35 है0 पर वादीगण को 1/3,1/3 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा वादीगण प्रतिवादी कम 1 के मध्य पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप प्राथमिक डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

…य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

प्राथमिक **डिक्री**

…ख्या 153/20	धारा अंतर्गत 53 RTA	निर्णय दिनांक 17.10.22

…क्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां

उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री हेमकिशोर शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

1. उमेश कुमार पुत्र कोमलप्रसाद जाति मीणा नि० थामली तह० व जिला बारां
2. नीरज कुमार पुत्र कोमलप्रसाद जाति मीणा नि० थामली तह० व जिला बारां

बनाम

1. कोमल प्रसाद पुत्र मांगीलाल जाति मीणा नि० थामली तह० व जिला बारां
2. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम थामली तह० बारां के ख०नं० 194 रकबा 0.76 है० ख०नं० 365 रकबा 0.35 है०, ख०नं० 445 रकबा 2.13 है०, ख०नं० 452 रकबा 0.04 है० ख०नं० 456 रकबा 0.75 है० एवं ख०नं० 697/446 रकबा 0.07 है० ग्राम मोरेडी ख०नं० 632/510 रकबा 2.35 है० पर वादीगण को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी क्र.1 के मध्य पृथक-पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

……………… रू0 का व्ययानुतोष ……………… द्वारा ……………… को प्रदान किया जाए।

साथ ही नियमानुसार ………………

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 17.10.22 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 153 / 2020	धारा अन्तर्गत 53 आर0 टी0 एक्ट	निर्णय दिनांक : 28.03.2023
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:–श्री बृजराज किशोर एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. उमेश कुमार पुत्र श्री कोमलप्रसाद जाति मीणा निवासी ग्राम थामली तहसील बारां जिला बारां
2. नीरज कुमार पुत्र श्री कोमलप्रसाद जातिमीणा निवासी ग्राम थामली तहसील बारां जिला बारा –वादीगण

बनाम

1. कोमलप्रसाद पुत्र श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम थामली तहसील बारां जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां –प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि–

प्राप्त विभाजन प्रस्तावानुसार विवादित आराजी वाके ग्राम थामली तहसील बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:–

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	लगान	ग्राम
1. उमेश कुमार पुत्र कोमल प्रसाद जाति मीणा सा0 देह	452	0.84	10.08	थामली
	456	0.75	09.00	थामली
	194	0.76	08.36	थामली
	किता 3	**2.35**	**27.44**	**थामली**
2. नीरजपुत्र कोमल प्रसाद जाति मीणा सा0 देह	365	0.35	03.85	थामली
	445	2.13	25.56	थामली
	697 / 446	0.07	00.84	थामली
	किता 3	**2.55**	**30.25**	**थामली**
3. कोमल प्रसाद पुत्र मांगीलालजाति मीणा सा0 देह	632 / 510	2.35		बोरडी

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.03.2023 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 16:47:59 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद		प्रतिवादी
1.	वद पत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Scanned with CamScanner